कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 जवाहर भवन, छठाँ तल, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2018/ लखनऊ दिनांकः 06 मार्च, 2018

प्रदेश में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान–तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (छः मासिक प्रशिक्षण) हेतु द्वितीय काउंसिलिंग की समय सारणी

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4029/71–2–178/2015, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 के क्रम में प्रदेश में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान–तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (छः मासिक प्रशिक्षण) नियम–2014 के अनुरूप कार्य हेतु उपलब्ध सीट मेडिकल कालेज कानपुर में 02, मेडिकल कालेज आगरा में 02, मेडिकल कालेज मेरठ में 02, मेडिकल कालेज इलाहाबाद में 01, मेडिकल कालेज झाँसी में 01 तथा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में 04 अर्थात कुल 12 सीटों हेतु शासनादेश संख्या–303/71–2–2016–178/ 2015 दिनांक–27 जनवरी, 2016 में निहित निर्देशों के अनुपालन में दिनांक–16 मार्च, 2018 को दिन शुक्रवार को चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, छठाँ तल, जवाहर भवन, लखनऊ के सभा कक्ष में पूर्वान्ह 10.00 बजे से काउंसिलिंग आयोजित की गयी है।

अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश

1. काउंसिलिंग हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी उक्त निर्धारित तिथि को अपने समस्त मूल अभिलेखों तथा उनकी 02 स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ तथा 02 फोटोग्राफ सहित काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
2. उक्त काउंसिलिंग हेतु सिक्योरिटी धनराशि रू0 5,000/– तथा काउंसिलिंग शुल्क रू0 800/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नाम से भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन शाखा, लखनऊ में देय हो, साथ लाना सुनिश्चित करें।
3. काउंसिलिंग शुल्क तथा धरोहर धनराशि किसी भी दशा में नकद जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी।
4. काउंसिलिंग हेतु अलग से कोई सूचना (काल लेटर) प्रेषित नहीं की जायेगी। प्रकाशित सूचना तथा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 की वेबसाइट www.updgme.in पर उपलब्ध सूचना के आधार पर काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होना होगा।
5. अभ्यर्थियों को निर्धारित काउंसिलिंग केन्द्र चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, छठाँ तल, जवाहर भवन, लखनऊ के सभा कक्ष में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
6. प्रवेश समिति (काउंसिलिंग बोर्ड) का निर्णय प्रत्येक प्रकरण में अन्तिम एवं मान्य होगा।
7. उक्त सूचना चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय की वेबसाइट www.updgme.in पर प्रदर्शित रहेगी।
8. प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण शुल्क केन्द्रीय अधिनियम की व्यवस्थानुसार रू0 20,000/– लिया जाएगा।
9. प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को कोई स्टाईपेन्ड देय नहीं होगा।
10. शासनादेश संख्या–303/71–2–2016–178/2015 दिनांक–27 जनवरी, 2016 की व्यवस्थानुसार उक्त प्रशिक्षण हेतु इच्छुक चिकित्सा व्यवसायियों को, जिन्होंने दिनांक 24 जून, 2017 से 30 जून, 2017 के मध्य वेबसाइट https://upneet.gov.in पर आन लाईन पंजीकरण कराया हो, सम्बन्धित शैक्षणिक/प्रशिक्षण

सत्र में नीट पी0जी0–2017 की योग्यता सूची के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जायेगा।

11. विषयगत छः मासिक प्रशिक्षण हेतु मात्र प्रदेश में पंजीकृत एवं निवासी चिकित्सा व्यवसायी (एम0बी0बी0एस0 डिग्री धारक) अर्ह होंगें।
12. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य राजकीय सेवाओं में सेवारत अभ्यर्थियों हेतु उक्त प्रशिक्षण में उपलब्ध कुल सीटों में से प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग जन हेतु प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सीटों में नीट पी0जी0 की भाँति आरक्षण अनुमन्य होगें।
13. प्रशिक्षण हेतु सेवारत अभ्यर्थियों का चयन भी नीट पी0जी0–2017 परीक्षा के माध्यम से काउंसिलिंग के आधार पर किया जायेगा।
14. गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान–तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (छः मासिक प्रशिक्षण) नियम–2014 के प्राविधानों के अधीन चिकित्सा व्यवसायियों को वर्णित छः मासिक प्रशिक्षण के अन्त में अथवा अनुभव के आधार पर आयोजित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा निर्गत किया जायेगा।

/

महानिदेशक